/

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
107/2025	02.06.2025	14.11.2025

अनवान

1. झमकू पत्नी गिरधारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. प्रभुलाल पिता गिरधारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. कैलाश दत्तक पुत्र उदा जाति जाट आयु वयस्क निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगणं

बनाम

1. खेमा पुत्र प्यारा जाति चमार आयु बालिग निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
2. घीसा पुत्र प्यारा जाति चमार आयु बालिग निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. दला पुत्र नगजीराम जाति चमार आयु बालिग निवासी बनाकिया खुर्द हाल मुकाम चंदपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
4. देवा पुत्र लालू जाति चमार आयु बालिग निवासी बनाकिया खुर्द हाल मुकाम चंदपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
5. भगवाना पुत्र गुणेश जाति बैरवा आयु बालिग निवासी बनाकिया खुर्द हाल मुकाम चंदपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
6. भैरू पुत्र गुणेश जाति बैरवा आयु बालिग निवासी बनाकिया खुर्द हाल मुकाम चंदपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
7. नारायण पिता कुका जाति कुमावत आयु बालिग निवासी रामाखेडा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
8. रतन पिता कुका जाति कुमावत आयु बालिग निवासी रामाखेडा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
9. कान्ता पत्नी सोहन जाति कुमावत आयु बालिग निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. बालू पिता हरलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. गोपी पिता हरलाल जाति जाट आयु बालिग निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. बद्रीलाल पिता डालचन्द जाति कुमावत आयु बालिग निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
13. भैरूलाल पुत्र डालचन्द जाति कुमावत आयु बालिग निवासी पंचदेवला तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

14. गोपीलाल पुत्र भुरालाल जाति ब्राहम्ण आयु बालिग निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

15. रतनी पत्नी कालु जाति कुमावत आयु बालिग निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा

प्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बनाकियाखुर्द पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 98 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1196, 1197, 1200, 1203, 1209, 1211, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1422/655, 1425/1198, 1427/1204, 1428/1203, 1430/1205, 1431/1190 कुल किता 23 कुल रकबा 6.62 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 22 के आराजी संख्या 1189, 1195, 1198, 1199, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1426/1190 कुल किता 16 कुल रकबा 5.72 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 2, 9, 10, 11, 14, 15 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थी द्वारा शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के संयुक्त खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर—बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ

विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा बनाकियाखुर्द पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 98 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1196, 1197, 1200, 1203, 1209, 1211, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1422／655, 1425／1198, 1427／1204, 1428／1203, 1430／1205, 1431／1190 कुल किता 23 कुल रकबा 6.62 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 22 के आराजी संख्या 1189, 1195, 1198, 1199, 1202, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1426／1190 कुल किता 16 कुल रकबा 5.72 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 सिंहपुर को 1000／– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला चित्तौडगढ

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ